...श	कार्यवाही विवरण 108/2021 उपादस्ती बनाम सोत प्री
14.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार उदयपुरवाटी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 बावजूद तामील हाजिर नही। बार बार आवाज लगाने के बाद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 हाजिर नहीं अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थना पत्र मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 09.01.2021 के अनुसार पत्थरगढी करवाए जाने का आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा जमाबंदी एवं सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 09.01.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है। **<u>आदेश</u>** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110, 128 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 149 की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 09.01.2021 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी निर्णय आज दिनांक 14.09.2021को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2022.06.23 12:56:23 IST Reason: SelfAttested (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner